

न्यायालय निलाम - पत्र दण्डाधिकारी, सह

अंचल अधिकारी अंचल

बोकारो

सर्टिफिकेट देनदार को नोटिस

देखिये दफा ७, बिहार वी उड़ीसा ऐक्ट नं० ४ सन् १९१४ बैंक नि० मु० सं० ०१/२३-२४  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाख ~~चन्द्रपुर~~

बनाम

सर्टिफिकेट देनदार का नाम ~~श्रवण कुमार वर्मा बाल पिता-सुरेश्वर~~  
~~बाल वर्मा बाल, पिता-वर्मा बाल स्टोर पाईप रोड, चन्द्रपुर~~

के नाम आपको इस नाटिस स जनाया जाता है की आपके ऊपर ~~₹ ५७०/-~~

रुपये के लिए जो आपसे बैंक कर्ज की बावत पावना है। बिहार और उड़ीसा के सरकारी मोतालबों

के वसूल करने का ऐक्ट सन् १९१४ की दफा ७ बिहार लोक मांग अधिनियम के अन्तर्गत एक

सर्टिफिकेट केश आज के दिन मेरे ऑफिस में नथी किया गया है। जो आपके ऊपर बताए हुए

~~₹ ५७०/- (पचास हजार चार सौ पचास)~~ रुपये के देने कि अपनी जिम्मेवारी

को नकारते हैं तो आप इस नाटिस की तामिल होने के तीस दिन के भीतर अपनी सारी जिम्मेवारी

या उसके किसी हिस्से को नकारती हुई को एक दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। तो आप ऊपर बताए

हुए तीस दिन के भीतर दरखास्त दाखिल ना कर या इस बात के लिए सबब न दिखलाइयेगा या पूरा

सबब न दिखलाइये की एसा सर्टिफिकेट क्यों न जारी किया जाना चाहिए तो यह आपके रुपये (

~~₹ ५७०/- (पचास हजार चार सौ पचास)~~

मुतालबे के और रुपये वसूल करने

के लिये ) मेरे ऑफिस में न दिये जाने पर कहे हुए ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक जारी किया जाएगा

जबतक कही हुई रकम इस तरह से न दे दी जाए आपको इस नोटिस से मना किया जाता है कि

आप अपना गौर मनकुला जायदाद या उसके किसी हिस्से को किसी दान बन्धक या और किसी हक

से अलग न करे जो आप इस बीच में मनकुला जायदा के किसी हिस्से को छिपायेगा या बेचियेगा

तो सर्टिफिकेट फौरन जारी किया जाएगा।

ऊपर बताए हुए सर्टिफिकेट की एक परत इसके साथ नथी कि जाती है आप सर्टिफिकेट का नं०

और सन् लिखकर मनिऑर्डर के जरिये रुपये भेज सकते है आज

ता. २५

माह ०७ सन् २०२३

निलाम पत्र ५३३  
२५/०७/२३

# न्यायालय, निलाम पत्र पदाधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश-पत्रक

बैंक निलाम पत्र मुं.सं-01/23-24

तिथि	<p>अधियाची पदाधिकारी-सह-प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक <sup>ऑफ इण्डिया, चन्द्रपुरा</sup> चन्द्रपुरा</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>देनदार-श्री. श्री कृष्ण कुमार वर्मा बाल</p>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p>अधियाची पदाधिकारी-सह-प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक <sup>ऑफ इण्डिया, चन्द्रपुरा</sup> शाखा की ओर से श्री श्री कृष्ण कुमार वर्मा बाल पिता/पति के विरुद्ध राशि 11,470/- के बसूली हेतु अधियाचना दाखिल किया गया है।</p> <p>अधियाची पदाधिकारी की ओर से कुल 370/- रुपये का कोर्ट फीस दाखिल किया गया है।</p> <p>देनदार के विरुद्ध धारा-7 की सूचना निर्गत करे।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक.....को रखें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><i>Handwritten Signature</i> 24.07.25 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।</p> </div>	

8/2025

**अभिलेख उपस्थापित।**

बैंक द्वारा कंपनी X का मिलान कंपनी Y से किया गया है। अधियाची पदाधिकारी प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक चन्द्रपुरा के द्वारा बताया गया की देनदार बैंक में पैसा जमा कर दिया है।

अतः उक्त बैंक के आलाप में चल रहे आवक का बन्द किया जाता है।

*Handwritten Signature*  
निलाम पत्र अधिकारी  
चन्द्रपुरा।